श्रम और रोजगार मंत्रालय

मांग संख्या 64

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	11508.18	31.44	11539.62	22481.88	49.59	22531.47	18268.93	38.29	18307.22	32606.92	39.27	32646.19
वसूलियां	*-154.00*	...	-154.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**11354.18**	**31.44**	**11385.62**	**22481.88**	**49.59**	**22531.47**	**18268.93**	**38.29**	**18307.22**	**32606.92**	**39.27**	**32646.19**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	85.26	4.21	89.47	99.38	5.08	104.46	93.66	4.39	98.05	102.62	3.92	106.54
2. श्रम ब्यूरो	25.67	...	25.67	29.90	0.17	30.07	25.99	0.10	26.09	27.57	0.10	27.67
3. मुख्य श्रमायुक्त , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य व्यय	107.60	3.39	110.99	117.70	6.82	124.52	107.17	4.01	111.18	115.70	7.00	122.70
4. महानिदेशालय, फैक्टरी सलाह सेवा (डीजीएफएएसएलआई)	28.50	5.84	34.34	31.78	7.56	39.34	30.40	3.68	34.08	32.65	6.36	39.01
5. महानिदेशालय , खान सुरक्षा (डीजीएमएस)	105.39	7.95	113.34	99.63	19.37	119.00	107.78	8.58	116.36	113.68	12.85	126.53
6. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	41.64	...	41.64	43.14	...	43.14	41.87	...	41.87	41.99	...	41.99
7. रोजगार महानिदेशालय	61.82	6.38	68.20	68.93	7.93	76.86	64.08	15.40	79.48	69.10	3.93	73.03
8. श्रम कल्याण योजना महानिदेशालय	146.74	3.26	150.00	154.31	2.05	156.36	150.65	1.52	152.17	158.42	3.00	161.42
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**602.62**	**31.03**	**633.65**	**644.77**	**48.98**	**693.75**	**621.60**	**37.68**	**659.28**	**661.73**	**37.16**	**698.89**
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
9. श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस)	33.76	...	33.76	50.00	...	50.00	26.58	...	26.58	71.22	1.50	72.72
10. श्रम कल्याण योजनाएं	81.31	...	81.31	50.68	...	50.68	50.68	...	50.68	50.68	...	50.68
श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं												
11. कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995	9127.00	...	9127.00	10950.00	...	10950.00	10235.00	...	10235.00	11250.00	...	11250.00
12. असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	59.87	...	59.87	66.20	...	66.20	63.39	...	63.39	66.87	...	66.87
13. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन	162.51	...	162.51	177.24	...	177.24	242.73	...	242.73	244.02	...	244.02
14. प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	5.10	...	5.10
15. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना	1221.06	...	1221.06	150.00	...	150.00	...	...	...	...	...	...
16. असंगठित मजदूरों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस	28.96	...	28.96	176.84	...	176.84	26.93	...	26.93	27.80	...	27.80

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं	**10599.40**	**...**	**10599.40**	**11520.29**	**...**	**11520.29**	**10568.06**	**...**	**10568.06**	**11593.79**	**...**	**11593.79**
17. स्वयंसेवी एजेन्सियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना	2.02	...	2.02	6.00	...	6.00	6.68	...	6.68	6.00	...	6.00
18. अ.जा., अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोचिंग और दिशा-निर्देश	23.47	0.41	23.88	19.99	0.61	20.60	19.99	0.61	20.60	20.00	0.61	20.61
19. राष्ट्रीय करियर सेवाएं	46.90	...	46.90	58.00	...	58.00	58.00	...	58.00	77.00	...	77.00
20. नई रोजगार सृजन स्कीम	...	...	...	10000.00	...	10000.00	6799.43	...	6799.43	20000.00	...	20000.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**10786.86**	**0.41**	**10787.27**	**21704.96**	**0.61**	**21705.57**	**17529.42**	**0.61**	**17530.03**	**31818.69**	**2.11**	**31820.80**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
21. कामगार शिक्षा और विकास हेतु दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय बोर्ड	105.12	...	105.12	117.00	...	117.00	103.26	...	103.26	110.85	...	110.85
22. राष्ट्रीय श्रम संस्थान	13.58	...	13.58	15.15	...	15.15	14.65	...	14.65	15.65	...	15.65
जोड़-स्वायत्त निकाय	**118.70**	**...**	**118.70**	**132.15**	**...**	**132.15**	**117.91**	**...**	**117.91**	**126.50**	**...**	**126.50**
अन्य												
23. वास्तविक वसूली	-154.00	...	-154.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**-35.30**	**...**	**-35.30**	**132.15**	**...**	**132.15**	**117.91**	**...**	**117.91**	**126.50**	**...**	**126.50**
कुल जोड़	***11354.18***	***31.44***	***11385.62***	***22481.88***	***49.59***	***22531.47***	***18268.93***	***38.29***	***18307.22***	***32606.92***	***39.27***	***32646.19***
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	23.46	...	23.46	18.60	...	18.60	18.60	...	18.60	18.80	...	18.80
2. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	10729.14	...	10729.14	19627.44	...	19627.44	15869.76	...	15869.76	28717.72	...	28717.72
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	601.74	...	601.74	644.77	...	644.77	621.60	...	621.60	661.73	...	661.73
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.41	0.41	...	0.61	0.61	...	0.61	0.61	...	0.61	0.61
5. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	31.03	31.03	...	48.98	48.98	...	37.68	37.68	...	38.66	38.66
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**11354.34**	**31.44**	**11385.78**	**20290.81**	**49.59**	**20340.40**	**16509.96**	**38.29**	**16548.25**	**29398.25**	**39.27**	**29437.52**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	2191.07	...	2191.07	1758.97	...	1758.97	3208.67	...	3208.67
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-0.09	...	-0.09	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	-0.07	...	-0.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**-0.16**	**...**	**-0.16**	**2191.07**	**...**	**2191.07**	**1758.97**	**...**	**1758.97**	**3208.67**	**...**	**3208.67**
कुल जोड़	**11354.18**	**31.44**	**11385.62**	**22481.88**	**49.59**	**22531.47**	**18268.93**	**38.29**	**18307.22**	**32606.92**	**39.27**	**32646.19**

1. **सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय व्यय हेतु प्रावधान किया जाता है।

2. **श्रम ब्यूरो:** श्रम ब्यूरो के स्थापना संबंधी व्यय हेतु प्रावधान किया जाता है।

3. **मुख्य श्रमायुक्त , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य व्यय:** सीएलसी (सी), सीजीआईटी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य मदों के लिए स्थापना व्यय से संबंधित प्रावधान है।

4. **महानिदेशालय, फैक्टरी सलाह सेवा (डीजीएफएएसएलआई):** इसमें कारखाना सलाह सेवा महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई) के लिए स्थापना संबंधी व्यय का प्रावधान है।

5. **महानिदेशालय , खान सुरक्षा (डीजीएमएस):** इसमें खान सुरक्षा महानिदेशालय के लिए स्थापना व्यय संबंधी प्रावधान है।

6. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ को वार्षिक अभिदान के भुगतान और आईएलओ के क्षेत्रीय कार्यालय और एशियन रिजनल टीम फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन को आवास और अवसंरचनात्मक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए निधि शामिल है ।

7. **रोजगार महानिदेशालय:** रोजगार महानिदेशालय के लिए स्थापना व्यय संबंधी प्रावधान है।

8. **श्रम कल्याण योजना महानिदेशालय:** श्रम कल्याण महानिदेशालय का स्थापना व्यय संबंधी प्रावधान है।

9. **श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस):** इसमें सांख्यिकी का संग्रहण और प्रकाशन, जाँच,सर्वेक्षणों का संचालन और एलईएसएस योजना के तहत विभिन्न श्रम विषयों से संबंधित अनुसंधान अध्ययन हेतु प्रावधान शामिल है।

10. **श्रम कल्याण योजनाएं:** इन योजनाओं में बीड़ी कामगारों, सिने कामगारों और श्रम कामगारों (i) अभ्रक खानों (ii) लोहा, क्रोम, मैंगनीज अयस्क खानों (iii) चूना पत्थर और डोलोमाइट खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण हेतु श्रमिक कल्याण योजना संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

11. **कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995:** ईपीएस योजना के तहत औद्योगिक कामगारों के लिए पारिवारिक पेंशन और जीवन बीमा लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान योजनाओं में सरकार के अंशदान के लिए है।

12. **असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा:** इस योजना में असम में बागान कामगारों के लिए पारिवारिक पेंशन-सह-जीवन बीमा, असम में चाय बागान कामगारों के लिए निक्षेप संबद्ध बीमा योजना का प्रावधान किया गया है। ये योजनाएं असम में बागान कामगारों के संबंध में असम राज्य सरकार के माध्यम से प्रशासित की जाती हैं, जो असम सरकार द्वारा प्रशासित असम चाय बागान भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन तथा कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा अधिनियम द्वारा अभिशासित होते हैं। यह प्रावधान योजना के लिए केंद्र सरकार के अंशदान के साथ-साथ प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

13. **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन:** प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों को प्रतिमाह 3000/-रुपये की निर्धारित राशि की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है जो इस योजना के तहत हर महीने एक निश्चित राशि का अंशदान करते हैं। भारत सरकार भी इस योजना के तहत बराबर राशि अंशदान करती है।

14. **प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन:** यह उन दुकानदारों / खुदरा व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए न्यूनतम 3000/-रुपये की मासिक न्यूनतम पेंशन प्रदान करने वाली पेंशन योजना है, जो योजना के तहत हर महीने निश्चित राशि का अंशदान करते हैं। भारत सरकार भी इस योजना के तहत बराबर राशि अंशदान करती है।

15. **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना:** लॉकडाउन अवधि के बाद नए रोजगार सृजन करने के लिए नई योजना के रूप में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की गई थी। यह योजना 1000 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए ईपीएफ अंशदान के कर्मचारियों के हिस्से के लिए वेतन का 12 प्रतिशत और 15000 रुपये प्रति माह से कम वेतन पाने वाले नए कर्मचारियों के संबंध में 1000 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए ईपीएफ कर्मचारी अंशदान के नियोक्ताओं और हिस्से के लिए वेतन का 24 प्रतिशत भुगतान करने का प्रावधान है। यह योजना अब बंद हो गई है।

16. **असंगठित मजदूरों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस:** असंगठित क्षेत्र के लगभग 38 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत करने के उद्देश्य से असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटा बेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर व्यय का प्रावधान किया गया है।

17. **स्वयंसेवी एजेन्सियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना:** इसमें स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रमिकों को सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कल्याण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण, समन्वय और कार्यान्वयन का प्रावधान है। एनसीएलपी योजना को अब शिक्षा मंत्रालय के एसएसए में शामिल कर दी गई है।

18. **अ.जा., अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोचिंग और दिशा-निर्देश:** इस योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है ताकि इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों के बीच आत्मविश्वास सृजन करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें और उन्हें व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। कुछ कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अन्य योजना भी शुरू की गई है।

19. **राष्ट्रीय करियर सेवाएं:** राष्ट्रीय करिअर सेवा परियोजना एक मिशन मोड परियोजना है जिसमें डिजिटल पोर्टल की परिकल्पना की गई है जो रोजगार ढूँढने वालों और नियोक्ताओं के लिए गतिशील, कुशल और उत्तरदायी तरीके से रोजगार मिलान(जॉब मैचिंग) के लिए राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। इसमें 3000 से अधिक व्यवसायों की करिअर सामग्री का समृद्ध भंडार है। यह योजना रोजगार मेलों के आयोजन को भी बढ़ावा देती है जहां नियोक्ता और रोजगार ढूँढने वाले, दोनों परस्पर संवाद कर सकते हैं। इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करके रोजगार सेवा प्रदान करने के लिए राज्यों द्वारा स्थापित किए जाने वाले मॉडल करिअर केंद्रों (एमसीसी) की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

20. **नई रोजगार सृजन स्कीम:** देश भर में रोजगार सृजन में वृद्धि करने हेतु नई योजना अर्थात ,नवीन रोजगार सृजन शुरू की गई है।

21. **कामगार शिक्षा और विकास हेतु दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय बोर्ड:** डीटीएनबीडब्ल्यूईडी को अनुदान सहायता प्रदान किया जाता है जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए जागरूकता बढ़ाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए काम करता है। इस

उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बोर्ड द्वारा संगठित, असंगठित, ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए देश भर में फैले 50 क्षेत्रीय और 9 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों के नेटवर्क तथा मुंबई स्थित शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान नामतः भारतीय कामगार शिक्षण संस्थान के माध्यम से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और इकाई स्तरों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

22. **राष्ट्रीय श्रम संस्थान:** वीवीजीएनएलआई के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है जो श्रम अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए प्रमुख संस्थान है। अपनी स्थापना के बाद से संस्थान ने अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रकाशन के माध्यम से उन सभी तक अपनी पहुंच बनाने का प्रयास किया है जो संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं।